राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर)

क्रमांकः एफ.18(आई–66)/आजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2020/7673-7753 दिनांक: 06/01/2020

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.03.11 के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत जलग्रहण समितियों के खातों के संचालन में सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को सह हस्ताक्षरकर्ता घोषित किया गया है।

राज्य में दिनांक 26.12.19 से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा होने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहित के अन्तर्गत सरपंच किसी भी योजना हेतु पदेन हस्ताक्षर नही कर सकते।

अतः आचार संहिता अवधि में जलग्रहण कमेटी के खाता संचालन में आंशिक संशोधन कर सरपंच के स्थान पर जहां अधिशाषी अभियंता पदस्थापित है, वहां अधिशाषी अभियंता एवं जहां अधिशाषी अभियंता पदस्थापित नही है, वहां परियोजना प्रबंधक को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त परियोजनाओं के लिये हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के साथ स्वतः ही निरस्त माने जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीताराम बंजारा)
आयुक्त,
ज.ग्र.वि.एव.भू.सं. एवं
मु.का.अधिकारी–एसएलएनए

क्रमांकः एफ.18(आई–66)/आजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2020–21/7673-7753 दिनांक: 06/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि.एंव पं., राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एंव पं., राज., जयपुर।
3. निजी शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ज.ग्र.वि.एवं भू.सं., जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, समस्त।
9. परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिशाषी अभियंता/पीआईए को उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध करवा कर आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
10. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्युएमपी)

226D:\SLV hindi letter\Hindi Letter.docx